[ उपाध्यक्ष महोदय ]

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह प्रस्ताव करेंगे कि ठेके दिये जाने से सम्बन्धित कई मामलों के नियमन का प्रावधान करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय।

पुनर्वास मन्त्री निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्थान अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

यही है कुल कार्य।

**श्री बी० शिवा राव** (दक्षिण कनड़ा--दक्षिण) : कल की कार्यविधि के सम्बन्ध में आपने कुछ भी नहीं बताया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि कल उनको विधेयकों को, जो राज्य परिषद् ने पारित किये हैं, और उन अन्य विधेयकों को जिन की रिपोर्ट प्रवर समिति ने दी है, पारित किया जाना है, अत: मेरे विचार में इस कार्य में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि अपराह्न में देर तक बैठने की कोई भी आवश्यकता नहीं।

**सांसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा :)** आज हम अपराह्न में कार्यवाही जारी रखेंगे और कार्य की प्रगति देख कर ही इस बात का निश्चय करेंगे कि कल से अपराह्न में बैठा जाना चाहिये या नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : समय के सम्बन्ध में कोई भी निश्चय नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो हम अपराह्न में बैठा करेंगे। मेरा यह सुझाव है कि हम यथापूर्व प्रातः ९ बजे से १ बजे म० प० तक बैठक किया करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम ३ या ३-३० म० प० पर पुनः समवेत होंगे, किन्तु हमें सारा कार्य ११ तक ही समाप्त कर देना चाहिये। कदाचित् हमें १२ दिनांक को राज्य परिषद् की ओर से निवारक निरोध विधेयक पर उनकी एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

**श्री जवाहरलाल नहरू** : प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। उस दिन बहुत सा कार्य करना होगा।

श्रीमान्, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और उस पर आप और सदन निश्चय कर लें। अधिक अच्छा यह होगा कि हम आवश्यकतानुसार कल प्रातः और मध्याह्न पश्चात् की दोनों बैठकें लगायें और शनिवार की छुट्टी मनायें। अन्यथा कल की आधे दिन की बैठक और शनिवार की आधे दिन की बैठक इतनी सुविधाजनक नहीं होगी।

**अनेक माननीय सदस्य** : यही अधिक अच्छा होगा।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : क्या १२ को सदन की बैठक होगी?

**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा कि इस समय परामर्श दिया जा रहा है १२ दिनांक को कोई भी काम नहीं होगा। संसद् सचिव ने भी यही बताया।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, बहुत काम है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझ से यही कहा गया।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, श्रीमान्।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हर रोज़ मामलों का निश्चय होगा और तदनुसार घोषणा की जायेगी। कुछ भी हो, मैं तो समझता हूं कि १२ दिनांक के बाद सदन की बैठक नहीं होगी।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ कहा नहीं जा सकता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कल हम प्रातः ९ बजे समवेत होंगे।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कल दोपहर के बाद भी।